प्ररूप संख्या 3 व 10
नियम 26 साधारण नियम (दांडिक) एवं नियम 140 साधारण नियम (दीवानी)
आदेष सूची (आर्डर शीट)

न्यायालय – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, संख्या– 03, बाडी, जिला धौलपुर

मुन्नी बनाम जेवीवीएनएल

सीआईएस नंबर – 27/2017

सीओएस नंबर – 27/2017

दिनांक – 26.09.2025

वादी के अधिवक्ता श्री शोकत अली उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री राधेश्याम उपाध्याय उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत साक्ष्य की अनुमति दिये जाने दिनांकित 17.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस उभयपक्ष सुनी जा चुकी है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दौहराया और तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 02 के पास अब तक प्रकरण की कोई सूचना न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई थी। इस कारण से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अब न्यायालय द्वारा उसको तलब किये जाने पर वह न्यायालय में उपस्थित आया है। उक्त प्रतिवादी के द्वारा पूर्व जवाब दावे के अनुसार अपना जवाब दावा पेश कर दिया है। प्रकरण में विवादित वीसीआर उक्त प्रतिवादी के द्वारा जारी की गई है। ऐसे में प्रतिवादी प्रकरण में अहम गवाह है तथा वह अपनी साक्ष्य कराना चाहता है। प्रतिवादी को पूर्व में तलब नहीं किया गया था और अब उसको तलब किया गया है। अंत में उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादी संख्या 02 बतौर गवाह प्रतिवादी साक्ष्य देने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर तर्क दिया कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर पेश किया गया है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा साक्ष्य बंद की जा चुकी हैं और प्रकरण बहस अंतिम के स्तर पर लंबित था। ऐसे में अब न्यायालय द्वारा साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय को अपने आदेश को रिकॉल करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलंब किया गया है। अंत में उपरोक्त

26/9/25
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
संख्या–03, बाडी जिला धौलपुर (राज.)

आधारों पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र से पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उसके बयान बतौर प्रतिवादी गवाह की अनुमति दिये जाने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण वादी मुन्नी के द्वारा प्रतिवादी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व गोवर्धन सिंह कनिष्ठ अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बसेडी के विरूद्ध पेश किया है। हस्तगत प्रकरण बहस अंतिम में लंबित था। उक्त स्तर पर प्रकरण के लंबित रहने के दौरान न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह जाहिर हुआ कि प्रकरण में दिनांक 20.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 02 की तामिल अदम आई थी और न्यायालय द्वारा उसे तलब किये जाने का आदेश किये गये थे, परंतु उक्त प्रतिवादी की तलबी जारी नहीं की गई और न ही उसके संबंध में कोई आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया। उसकी ओर से जवाब दावा भी पत्रावली पर पेश नहीं किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी कराये जाने के आदेश दिये गये थे, तत्पश्चात् यह प्रकरण प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी में लंबित था, जिस पर दिनांक 17.09.2025 को प्रतिवादी संख्या 02 गोवर्धन सिंह स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। उक्त दिनांक को उक्त प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावा भी पेश किया गया। जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी गोवर्धन सिंह की ओर से अब प्रकरण में अपने बयान लेखबद्ध कराये जाने का अनुतोष चाहा है। यद्यपि प्रकरण बहस अंतिम में नियत कर दिया गया था, परंतु पत्रावली के अवालेन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवादी प्रथम बार दिनांक 17.09.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुआ है। न्यायालय के मत में किसी भी प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर सभी पक्षों को

26/9/25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश [illegible]
संख्या-03, बाड़ी जिला-धौलपुर [illegible]

सुना जाकर व अपना पक्ष का अवसर दिये जाने के पश्चात ही दिया जाना चाहिए। उक्त प्रतिवादी को पूर्व में अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अब उसको अपने पक्ष रख अपने साक्ष्य कराये जाने का अवसर दिया जाना नैसर्गिकता के सिद्धांतों के अनुसार भी न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिवादी प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह है। अन्यथा भी उक्त प्रतिवादी से पूर्ण रूप से जिरह करने का अवसर भी वादी को प्राप्त रहेगा। ऐसे में उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसको बतौर गवाह परीक्षित होने की अनुमति दी जाती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण वर्ष 2017 से लंबित होकर इस न्यायालय के सबसे पुराने प्रकरणों की सूची संख्या 41 पर है, जिसमें शीघ्र निस्तारण के आदेश है। अतः आगामी पेशी पर प्रतिवादी संख्या 02 आवश्यक रूप से अपनी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित आये और वादी आवश्यक रूप से उससे जिरह करें। किसी भी पक्ष को अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा और साक्ष्य व जिरह का अवसर समाप्त किया जायेगा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/जिरह प्रतिवादी संख्या 02 दिनांक 13.10.2025 को पेश हो।

26/9/25

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
संख्या-03, बाड़ी जिला-धौलपुर (राज.)